म.प्र. विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977

["मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) क्र. 14770 (1) 4-26-77-पी.ए.-77/2/21-अ, दिनांक 31 मार्च, 1977 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी 1980 तथा अधिसूचना क्र. 1385, दिनांक 3 जुलाई, 1996 द्वारा संशोधित]

1. ये नियम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य/पेंशन नियम, 1977 कहलायेंगे.

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973);

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(ग) "सचिव" से अभिप्रेत है सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा और उसके अंतर्गत आता है विधान सभा का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो अध्यक्ष द्वारा उन नियमों के प्रयोजनों के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत किया गया हो.

3. प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिये हकदार हो सचिव को प्ररूप "क" में आवेदन करेगा. आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ की तीन प्रतियां तथा तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिगनेचर) संलग्न किये जायेंगे.

परंतु यदि किसी व्यक्ति की जो धारा 6-क की उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार हैं प्ररूप "क" में आवेदन प्रस्तुत किये बिना मृत्यु हो जाये तो उसका पति या पत्नि या जहां कोई पति या पत्नि नहीं है वहां अवयस्क पुत्र/पुत्री या जहां कोई अवयस्क पुत्र/पुत्री नहीं है वहां आश्रित पिता/माता या जहां कोई आश्रित पिता/माता नहीं है वहां वयस्क पुत्र/पुत्री सचिव म.प्र. विधान सभा को पेंशन की शोध्य रकम प्राप्त करने हेतु प्ररूप "क क" में आवेदन कर सकेगा/सकेगी. आवेदन के साथ निवेदन फोटों की तीन प्रतियां संबंधित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और नातेदारी प्रमाण-पत्र एवं किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिग्नेचर) संलग्न होंगे.

4.(1) सचिव, आवेदन पत्र की अन्तर्वस्तु को सत्यापित करेगा या सत्यापित करवायेगा और उसका यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार है, पेंशन मंजूर करते हुए एक आदेश जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा :-

(क) अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति का नाम ;

(ख) पेंशन की रकम ;

(ग) वह तारीख जिससे ऐसा व्यक्ति पेंशन के लिये हकदार होगा ;

(घ) वह खजाना जिसके माध्यम से भुगतान किया जायेगा.

(2) पेंशन मंजूर करने के आदेश की एक प्रति महालेखापाल-एक, मध्यप्रदेश को अग्रेषित की जायगी.

5. मंजूरी आदेश प्राप्त होने पर महालेखाकार, मध्यप्रदेश उस खजाने के, जिसके माध्यम से पेंशन संवितरित की जानी हो खजाना अधिकारी को प्ररूप "ख" में पेंशन भुगतान ओदश, आवेदक को सूचना देते हुए जारी करेगा.

6. पेंशन भोगी अपनी पेंशन लेने के लिये या तो स्वयं या किसी अभिकर्ता या संदेशवाहक के माध्यम से प्ररूप "ग" में एक देयक खजाना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, पेंशन स्वयं प्राप्त करने के सिवाय खजाने द्वारा पेंशन का भुगतान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप "घ" में जारी किया गया जीवन प्रमाण-पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) पेश करने के अध्यधीन रहते हुए किया जायेगा.

स्पष्टीकरण, -- इस नियम के प्रयोजन के लिये "सक्षम प्राधिकारी" कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई प्रथम वर्ग अधिकारी या संसद अथवा मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड जिल्द एक के नियम 363 में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी होगा.

7. प्रथम पेंशन देयक और तत्पश्चात् मई तथा नवंबर मासों के प्रत्येक पेंशन देयक के साथ प्ररूप "ड" में एक घोषणा पत्र संलग्न होगी.

8. अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (2) के अधीन पेंशन प्राप्त करने के लिये पेंशन भोगी को निरहित करने वाली किसी घटना के घटित होने पर, पेंशनभोगी सचिव को, महालेखापाल को जिसने पेंशन भुगतान आदेश जारी किया है तथा संबंधित ख़जाना अधिकारी को घटना की सूचना तत्काल देगा.

प्ररूप "क"

(नियम 3 देखिये)

पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-क देखिये)

(अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा).

प्रेषक :

श्री/श्रीमती/कुमारी ....

....

प्रति,

सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.

विषय :-- मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन पेंशन की मंजूरी.

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धार 6-क के शब्दों में मैं निम्नलिखित कालावधियों के संबंध में, जिनमें मैंने विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया हैं, पेंशन के लिये हकदार हूं.

निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रमांक	से	तक
(एक)		
(दो)		
(तीन)		
(चार)		

2. निवेदन है कि मुझे पेंशन मंजूर करने के लिये कृपया कार्यवाही करें, मैं अपनी पेंशन सरकारी खजाना .... से लेना चाहता हूं/चाहती हूं.

3. मैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी/संसद या मध्यप्रदेश विधान सभा के आसीन सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों इसके साथ संलग्न करताहूं/करती हूं :-

(एक) तीन आदर्श हस्ताक्षर.

(दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटोग्राफ की तीन प्रतियां

4. मेरा वर्तमान पता .... है

मेरा स्थाई पता .... है

5. मैं, एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि :-

(एक) मैं, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद या किसी राज्य के राज्यपाल का पद या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक का पद धारण नहीं करता हूं/करती हूं.

(दो) मैं, राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की या किसी संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधान सभा या किसी राज्य की किसी विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 सन् 1966) की धारा 3 के अधीन गठित की गई दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य नहीं हूं.

(तीन) मैं केंद्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूं.

या ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारश्रमिक प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार नहीं हूं।

(चार) ** ** **

(पांच) मैं,..का पद धारण करता हूं/करती हूं या मैं..का/की सदस्य हूं या मैं......................................मैं ....के रूप में / नियोजित हूं.

और ऐसा पद धारक के रूप में या ऐसे सदस्य होते हुए या ऐसे नियोजन में होते हुए मेरे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कुल पारिश्रमिक रूपये .... प्रतिमास है.

(सक्षम प्राधिकारी का एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय.)

** ** **

(छः)

भवदीय

नाम बडे अक्षरों में ....
स्थान ....
तारीख ....

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

लेखा शाखा

क्रमांक ....लेखा   तारीख ....

महालेखाकार-एक मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित.

लेखा अधिकारी.

कार्यालय, महालेखापाल-एक, मध्यप्रदेश

क्रमांक ....   तारीख ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में नीचे दी गई कालावधियों तक कार्य किया है -

(1).. से .... तक
(2).. से .... तक
(3).. से .... तक

और यह कि उसे रूपये .... प्रति मास की पेंशन अनुज्ञेय है.

लेखा अधिकारी.

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक.........................   तारीख 19

रूपये .... (रूपये .... केवल) प्रतिमास पेंशन श्री/श्रीमती/कुमारी .... को तारीख .... से मंजूर की जाती है.

पेंशन .... खजाना से देय होगी.

महालेखापाल-एक मध्यप्रदेश, ग्वालियर को अग्रेषित.

सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रारूप "कक"

(नियम 3 देखिये)

पेंशन के लिय आवेदन

(मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 की धारा 6-क देखिये)

(अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति के वारिसों द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

प्रेषक :

श्री/श्रीमती/कुमारी ....
....
....

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा,
भोपाल.

विषय :- मध्यप्रदेश विधान सदस्य, वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन पेंशन की शोध्य रकम की मंजूरी.

महोदय,

उक्त अधिनियम की धारा 6-क के निबंधनों के अनुसार श्री/श्रीमती .... मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में उसके द्वारा की गई सेवा के निम्नलिखित कालावधियों के संबंध में पेंशन का हकदार था/थी, अर्थात :-

निर्वाचन क्षेत्र का	से	तक	नाम तथा क्रमांक
(एक)			
(दो)			
(तीन)			
(चार)			

चूंकि वह अपने जीवन काल में पेंशन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका/सकी और मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य पेंशन नियम 1977 के नियम तीन के परन्तुक के अधीन मैं, श्री/श्रीमती .... की पेंशन की शोध्य रकम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का/की हकदार हूं.

2. अतएव निवेदन है कि मुझे ऊपर वर्णित पेंशन की शोध्य रकम मंजूर करने के लिए कृपया कार्यवाही करें. में पेंशन की शोध्य रकम .... सरकारी खजाने से लेना चाहता हूं / चाहती हूं.

3. मैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी/ अधिकारी/संसद या मध्यप्रदेश विधान सभा के आसीन सदस्य द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न करता हूं/करती हूं :-

(एक) अधोहस्ताक्षरी के तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिग्नेचर)
(दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटों की तीन प्रतियां
(तीन) मृत्यु प्रमाण-पत्र
(चार) अन्य वारिसों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र
(पांच) नातेदारी प्रमाण-पत्र

4. मेरा वर्तमान पता ....
.... है.
मेरा स्थाई पता ....
.... है.

5. मैं, एतद द्वारा घोषित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है.

स्थान .... भवदीय
तारीख ....

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

लेखा शाखा

क्र............/वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन तारीख 2000

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी.आर.1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

उप सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

कार्यालय, महालेखाकार-1, मध्यप्रदेश

क्र. .... तारीख ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी .... ने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में नीचे दी गई कालावधियों के लिए सेवा की थी,

(1) .... से .... तक
(2) .... से .... तक
(3) .... से .... तक

और उसकी मृत्यु हो जाने के कारण एवं ऊपर वर्णित को पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण पेंशन रू .... प्रति मास उसके वारिस श्री/श्रीमति/कुमारी .... को अनुज्ञेय है.

लेखा अधिकारी.

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

क्र........../वि.सं./सदस्य लेखा/पेंशन तारीख 2000

श्री/श्रीमती/कुमारी .... को तारीख .... से तारीख.. तक रूपये .... (रूपये ....केवल) प्रति मास पेंशन मंजूर की जाती है.

पेंशन .... खजाना से देय होगी.

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी.आर.1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

<u>प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी... श्री/श्रीमती/कुमारी ....श्री/श्रीमती/कुमारी .... (विधान सभा का पूर्व सदस्य) के प्रति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, माता/पिता है.

तारीख ....

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.के.दास प्रमुख सचिव,

प्ररूप "ख"

(नियम 5 देखिये)

पेंशन भुगतान आदेश

पेंशन भोगी का भाग

संवितरक का भाग

लेखा का शीर्षक : राज्य सरकार को विकलनीय :
मुख्य शीर्षक-266 पेंशन तथा सेवा निवृत्ति के अन्य फायदे
मतदत्त : लघु शीर्ष विधायकों राज्य विधान मण्डलों
के सदस्यों को पेंशन.

पेंशन भोगी के फोटोग्राफ के लिये स्थान

1. पेंशन भोगी का नाम ....
2. निवास स्थान ग्राम तथा परगना दर्शाते हुए ....
....
3. पेंशन का वर्ग-मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन,
तथा भत्ता पेंशन अधिनियम, 1972
(क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन पेंशन.

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर के लिये स्थान

4. मासिक पेंशन की रकम ....
5. प्रारंभ होने की तारीख ....
6. भुगतान का कार्यालय तथा स्थान ....
कार्यालय ....

क्रमांक .... तारीख 200

आगामी सूचना तक तथा प्रत्येक मास की समाप्ति पर कृपया श्री .... को रूपये .... की राशि, जो कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 के अधीन पेंशन की रकम है, का भुगतान करें.

भुगतान .... से प्रारंभ होगा.

(हस्ताक्षर) ....

(पदाभिधान) ....

टिप्पणी - पेंशन भोगी द्वारा (उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र के अनुसार) प्राप्त की जाने वाली पारिश्रमिक की रकम यदि कोई हो, इस अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (2) के अनुसार उसकी पेंशन में से घटाई जाये.

महालेखापाल के कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति

हस्ताक्षर...

प्रति,

____
____
____

पेंशन के भुगतान को शासित करने वाली शर्तें।

1. इस आदेश के अधीन पेंशन देय नहीं होगी जब तक कि पेंशन भोगी-(एक) भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिये निर्वाचित है या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी/संघ राज्य क्षेत्र, के प्रशासक के पद पर नियुक्त है ;

(दो) राज्य सभा का या लोक सभा का किसी राज्य की या किसी संघ राज्य क्षेत्र, की किसी विधानसभा का या किसी राज्य की विधान परिषद् का या दिल्ली प्रशासन, अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 सन् 1966) की धारा 3 के अधीन गठित की गई दिल्ली, महानगर परिषद का सदस्य ;

(तीन) केंद्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम, जिस पर केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित है या ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई परिश्रमिक प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार हो जाता है ;

परंतु जहां ऐसा पद धारण करने के लिये या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने के कारण प्राप्त किया जाने वाला वेतन या जहां शर्त (तीन) में निर्दिष्ट किया गया पारिश्रमिक, इस आदेश के अधीन देय पेंशन से कम हो, वहां पेंशन भोगी इस आदेश के अधीन के रूप में अतिशेष पाने का ही हकदार होगा.

2. ** ** **

3. इस आदेश के अधीन पेंशन का प्रथम भुगतान और प्रत्येक वर्ष मई तथा नवम्बर मासों के लिए पेंशन के पश्चात्वर्ती भुगतान, कोई पद धारण करने, नियोजिन में होने के संबंध में पेंशन भोगी द्वारा विहित प्ररूप में घोषणा पेश करने के अध्यधीन रहते हुये होंगे. इसके अतिरिक्त पेंशनभोगी से यह अपेक्षा की जाती कि वह सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा को महालेखापाल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (जिसने पेंशन भुगतान आदेश जारी किया है) को तथा साथ ही पेंशन, संवितरक अधिकारी को शर्त. 1 में यथानिर्दिष्ट अपने-अपने निर्वाचन, नियोजन के बारे में उस घटना के एक मास के भीतर सूचित करें.

4. खजाना/उपखजाना में इस आदेश के अधीन भुगतान इस आदेश के पेश करने पर तथा प्ररूप "ग" में देयक प्रस्तुत करने पर पेंशन भोगी को स्वयं किया जायेगा.

खजाना/उप खजाना में वैयक्तिक हाजिरी उस मामले में अभित्यजित की जा सकेगी जिसमें किसी पेंशन भोगी को शासन द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई हो या जो किसी संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान चाहता है और किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी द्वारा संसद/मध्यप्रदेश विधान सभा के किसी आसीन सदस्य द्वारा या मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड, जिल्द एक के नियम 363 में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण-पत्र (लाईफ सर्टीफिकेट) भेजता है. सिवाय उस दशा में जिसमें कि पेंशन स्वयं प्राप्त की जाय खजाना/उपखजाना द्वारा पेंशन का भुगतान जीवन प्रमाण-पत्र पेश करने के अध्यधीन रहते हुए किया जायेगा.

टिप्पणी-(एक) पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाने पर यह आदेश उसके कुटुम्ब द्वारा पेंशन संवितरक अधिकारी को पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख की रिपोर्ट सहित तत्काल लौटा दिया जाए.

(दो) जीवनकाल की बकाया, यदि कोई, के लिये औपचारिक दाये जहां कहीं आवश्यक हो, वैध प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से समर्पित किये जाकर पेंशन संवितरक अधिकारी को प्रस्तुत किये जाये.

पेंशन की रकम रूपये ....
(शब्दों में) .... प्रत्येक पृथक् भुगतान संवितरक अधिकारी द्वारा नीचे अभिलिखित किया जायेगा :-

मास जिसके लिये पेंशन शोध्य है	19 भुगतान की तारीख	19 संवितरक अधिकारी के आद्याक्षर	19 भुगतान की तारीख	19 संवितरक अधिकारी के आद्याक्षर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
मार्च					
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					

प्ररूप "ग"

(नियम 6 देखिये)

राज्य मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6 के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति का पेंशन देयक

पेंशन भुगतान आदेश क्रमांक ....

श्री/श्रीमती/कुमारी ....

जिला .... लेखा शीर्ष 266-पेंशन तथा सेवा निवृत्ति के अन्य फायदे.

व्हाउचर क्रमांक..........................

तारीख.....................................

विधायकों,

राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों की पेंशन.

उक्त अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति के रूप में माह .... 2000 .... के लिए मुझे शोध्य पेंशन की रकम रूपये ....

कम कीजिये....................................... माह ....20 ....

के लिय मेरे पेंशन देयक के साथ प्ररूप "ड" में घोषणा के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (2) के अधीन मेरे द्वारा प्राप्त किये जाने वाला पारिश्रमिक ....

रूपये ....

शुद्ध रकम ....

शब्दों में (रूपये ....)

भुगतान प्राप्त हुआ.

भुगतान कीजिये रूपये.............

(रूपये ....)

यदि रकम रूपये 500 से अधिक हो तो रसीद टिकट लागइये.

खजाना अधिकारी

पेंशन भोगी का निवास स्थान

....

....

स्थान ....

पेंशन भोगी के

हस्ताक्षर ....

तारीख ....

टिप्पणी- प्ररूप "ड" में घोषणा प्रथम पेंशन देय तथा प्रत्येक वर्ष मई तथा नवंबर मासों के लिय पेंशन देयकों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिये.

प्ररूप "घ"

(नियम 6 देखिये)

प्रमाण-पत्र

जो कि पेंशन भोगी द्वारा स्वयं उपस्थित न होने की दशा में दिया जायेगा

(किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केंद्रीय या राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी संसद मध्यप्रदेश विधान सभा के किसी आसीन सदस्य या मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड, जिल्द एक के नियम 363 के निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जावे).

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भोगी श्री/श्रीमती/कुमारी .... को देखा है और यह कि वह इस तारीख को जीवित है, और देयक पर उसने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है,

स्थान ....
तारीख......................

हस्ताक्षर ....
पदाभियान ....
मुद्रा ....

प्ररूप "ड."

(नियम 7 देखिये)

घोषणा

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति द्वारा उसके प्रथम पेंशन देयक के साथ तथा तत्पश्चात् वर्ष में दो बार अर्थात् मई तथा नवंबर मासों में प्रस्तुत किया जाय).

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि -

(एक) मैं भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित नहीं हुआ हूं/नहीं हुई हूं; या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हुआ हूं/नहीं हुई हूं ; या

(दो) मैं राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की किसी विधान सभा या विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 सन् 1966) की धारा 3 के अधीन गठित की गई दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य नहीं हूँ; या

(तीन) मैं केन्द्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम जिस पर केंद्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूं या मैं ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार नहीं हूं; या

(चार) ** ** **

मैं ....का पद धारण करता हूं/ करती हूं

या

मैं ....का/की सदस्य हूं या मैं

*.......................................मैं .... के रूप में नियोजित हूं और ऐसे पद के धारक के रूप में या ऐसा सदस्य होने या ऐसे नियोजित में होने के कारण मेरे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कुल परिश्रमिक रूपये .... हैं.

स्थान .... पेंशन भोगी ....

तारीख .... पता ....

....

यहां केन्द्रीय सरकार के/राज्य सरकार के/स्थानीय प्राधिकारी के/ऐसे निगम, जिस पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के कार्यालय के नाम का उल्लेख कीजिये.